

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 29 जून, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तराखण्ड पेयजल निगम को पेंशन, ग्रेज्युटी एवं सेवानिवृत्तिक देनदारियों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1396/वि0अनु0/ एसी-1/312 दिनांक 05 जून, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन अवशेष, ग्रेज्युटी एवं अन्य सेवानिवृत्तिक देनदारियों के भुगतान हेतु आय-व्ययक में बजट प्राविधान रू0 25.00 करोड के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 8.333 करोड अवमुक्त होने के उपरांत अवशेष धनराशि रू0 16.667 करोड में से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 8.333 करोड (रू0 आठ करोड तैतीस लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष, 2018-19 में निम्न शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम के हस्ताक्षर युक्त तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर उसी उद्देश्य हेतु व्यय की जायेगी, जिस हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(iii) मा0 मुख्यमंत्री जी की बैठक दिनांक 29.08.2012 में लिये गये निर्णय एवं निगम के साथ हुए एम0ओ0यू0 की शर्तानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

2. उक्त धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई -01 -जलपूर्ति - -190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-03-जल निगम के कार्मिकों को सेवानिवृत्तिक लाभ का भुगतान -00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1806131846 दिनांक 28 जून, 2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं०- 232/XXVII(2)/2018 दिनांक 27 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

प०सं०/434. (1)/उन्तीस(2)/18-2(43पे०)/2012 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. बजट निदेशालय, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
6. मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव